राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः एफ 15 (3) (181) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2023/33307 जयपुर, दिनांकः 22/6/2

परिपत्र

पालनहार योजना में लाभान्वित पालनहारों/बच्चों का वार्षिक भौतिक सत्यापन/रिन्यूअल (Annual Physical Verification/Renewal) Palanhar Mobile App के माध्यम से किए जाने के संबंध में निर्देश।

विभाग द्वारा पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पालनहारों/बच्चों का वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल) करवाया जाता है। वर्तमान में पालनहार पोर्टल को विभागीय एवं अन्य सम्बंधित विभागों द्वारा संचालित पोर्टल्स से लिंक कर ऑनलाईन वेबसर्विस के माध्यम से पालनहारों/बच्चों का जनाधार/आधार नम्बर मैच करवाकर वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल) करवाया जा रहा है। जिन पालनहारों/बच्चों का वेबसर्विस के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल) नहीं हो रहा है, ऐसे पालनहारों/बच्चों का पृथक से ई–मित्र कियोस्क केन्द्र/विभाग के ब्लॉक समाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल) करवाये जाने का प्रावधान है।

पालनहारों/बच्चों का वार्षिक भौतिक सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल)एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान में लगभग 3.63 लाख पालनहार एव 6.87 लाख बच्चों को उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल) करवाना आवश्यक होता है, जिसके लिए लाभार्थी पालनहारों/बच्चों को ई–मित्र कियोस्क केन्द्र अथवा विभाग के ब्लॉक कार्यालय पर जाना होता है।

पालनहार योजना सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसकी वार्षिक सत्यापन/नवीनीकरण (रिन्यूअल) की प्रक्रिया को सुलभ, सरल एवं त्वरित बनाये जाने हेतु वर्तमान में उपलब्ध सत्यापन/रिन्यूअल की विधियों के अतिरिक्त तकनीक का उपयोग कर पालनहार मोबाइल ऐप्प (Palanhar Mobile App) के द्वारा फेस रेकग्निशन (Face Recognition) के माध्यम से पालनहार का आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं बच्चों का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकृत होने/विद्यालय में अध्ययनरत रहने का वार्षिक शैक्षणिक नवीनीकरण (रिन्यूअल) किए जाने हेतु प्रावधान किया जा रहा है, इससे पालनहार को घर बैठे ही स्वयं का सत्यापन एवं बच्चों का

शैक्षणिक रिन्यूअल की सुविधा (Door step service delievery) उपलब्ध हो सकेगी, जिससे समय की भी बचत होगी।

पालनहार का वार्षिक भौतिक सत्यापन : Face Recognition के माध्यम से

पालनहार मोबाइल ऐप्प (Palanhar Mobile App) के द्वारा फेस रेकग्निशन (Face Recognition) के माध्यम से पालनहार का आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के द्वारा वार्षिक सत्यापन किए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

1. जिस एन्ड्रॉयड मोबाइल (Android Mobile)/एन्ड्रॉयड टेबलेट (Android Tablet) से पालनहार का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना है, उस मोबाइल पर पालनहार मोबाइल ऐप्प (Palanhar Mobile App) व फेस आरडी ऐप्प (Face RD App) को Install करना होगा।
2. Palanhar Mobile App प्रारंभ करने पर सबसे पहले मोबाइल का नंबर दर्ज (Enter) करना होगा तथा OTP प्राप्त करना होगा। प्राप्त OTP दर्ज करने के बाद पालनहार के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी। एक सेशन के दौरान एक से अधिक पालनहार का भी सत्यापन किया जा सकेगा। (स्वयं के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर के अतिरिक्त अन्य मोबाईल नम्बर से भी सत्यापन हो सकेगा)
3. Palanhar Mobile App पर पालनहार को अपना जनाधार नम्बर अथवा पालनहार आवेदन क्रमांक अंकित करना होगा। इसके पश्चात् पालनहार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में से पालनहार का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित होगा एवं मोबाइल का फ्रन्ट कैमरा ऑन हो जायेगा।
4. पालनहार को मोबाईल के सामने स्वयं का चेहरा (Face) फ्रन्ट कैमरे के सामने रखना होगा एवं स्वयं की पलकों को झपकाना होगा।
5. कैमरे द्वारा संकलित डाटा आधार पोर्टल पर स्वतः (Auto) प्रेषित हो जायेगा एवं आधार पोर्टल से पालनहार का सत्यापन सफलतापूर्वक होने पर जिस मोबाईल से यह प्रक्रिया की जा रही है उस मोबाईल पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, संबंधित सन्देश प्रदर्शित होगा।

बच्चों का वार्षिक शैक्षणिक रिन्यूअल : पालनहार मोबाइल ऐप्प (Palanhar Mobile App) के माध्यम से

पालनहार मोबाइल ऐप्प (Palanhar Mobile App) के द्वारा बच्चों का शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध सूचना अथवा आंगनवाडी केन्द्र/विद्यालय द्वारा जारी प्रमाण—पत्र के माध्यम से वार्षिक शैक्षणिक रिन्यूअल किए जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

1. पालनहार का भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यदि उनके बच्चों का वार्षिक रिन्यूअल पेंडिग है, तो ऐसे बच्चों का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित होगा।

2. Palanhar Mobile App पर बच्चों के शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होने की स्थिति में अध्ययनरत होने से संबंधित सूचना स्वतः प्रदर्शित हो जायेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आवेदक द्वारा बच्चों के आंगनबाडी केन्द्र में पंजीकृत / विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा।

3. प्रमाण–पत्र अपलोड करने की स्थिति में ऐसे आवेदन ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी स्तर पर जांच हेतु प्रदर्शित होगा।

4. शाला दर्पण पोर्टल से बच्चों का वार्षिक नवीनीकरण (रिन्यूअल) सफलतापूर्वक होने पर जिस मोबाईल से यह प्रक्रिया की जा रही है उस मोबाईल पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, से संबंधित संदेश प्रदर्शित होगा।

नोटः– फेसरिकग्निशन (Face Recognition) के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual Physical Verification) एक अतिरिक्त सुविधा (Additional facility) है। पूर्व के माध्यम से की जा रही वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं रिन्यूअल की प्रक्रिया यथावत रहेगी।

संलग्नः– ऐप्प उपयोग की विधि (User Manual)

फेस आरडी ऐप्प (Face RD App)
को Install करने हेतु स्कैन करें।

Palanhar Mobile App
Install करने हेतु स्कैन करें।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ 15 (3) (181) सा.सु./पालनहार/सान्याअवि/2023/ 33308-19 जयपुर, दिनांकः 22/6/23

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा–प्रथम) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
7. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. जिला कलक्टर समस्त।
9. अति. निदेशक सामाजिक सुरक्षा, सान्याअवि, जयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई.टी) को आवश्यक प्रावधान करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. संयुक्त/उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान समस्त।
12. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, समस्त।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव